बिहार सरकार

परिवहन विभाग

राज्य परिवहन आयुक्त का कार्यालय, बिहार, पटना ।

वाहन स्वामी कृपया ध्यान दें ।

पत्रांक– 4/STA–P3–232/2012 (पार्ट) परि0–4510/पटना,दिनांक– 13/7/18

सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बिहार–पश्चिम बंगाल, बिहार–छत्तीसगढ़ एवं बिहार–उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न अन्तर्राज्यीय मार्गों पर स्थायी परमिटों की स्वीकृति के निमित्त दिनांक–06.07.2018 को सम्पन्न राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना की बैठक में लंबित आवेदनों पर पुनर्विचार हेतु प्राधिकार की बैठक दिनांक--24.07.2018 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में पुराना सचिवालय स्थित अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में आयोजित की गयी है ।

दिनांक--06.07.2018 को सम्पन्न राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में जिन मार्गों पर रिक्ति से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, उनकी मेघा सूची तैयार कर दिनांक–16.07.2018 तक विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर दी जायेगी । यदि किसी वाहन स्वामी को मेघा सूची के संबंध में कोई आपत्ति हो, तो वे नैसर्गिक न्याय के तहत् शपथ पत्र, साक्ष्य एवं सरकार द्वारा निर्धारित आपत्ति शुल्क के साथ अपनी लिखित आपत्ति दिनांक–20.07.2018 के अपराह्न 4.00 बजे तक परिवहन विभाग के सिंगल विन्डो (एकल खिड़की) काउन्टर पर निश्चित रूप से समर्पित करेंगे।

उपर्युक्त निर्धारित शर्तों के विपरीत प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा । निर्धारित समय–सीमा के उपरान्त प्राप्त किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा ।

13.7.18

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना ।

STA-Miting-P-106